**बिहार लोक सेवा आयोग**

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

**65वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा**

65वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 15.10.2019 एवं 17.02.2020 को सम्पन्न प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों, से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु ऑनलाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी, जिसमें दो अनिवार्य विषय क्रमशः सामान्य हिन्दी – 100 अंक तथा सामान्य अध्ययन (दो पत्र), प्रत्येक पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित वैकल्पिक विषयों में से किन्हीं एक विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में रखना अनिवार्य है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा।

(क) अनिवार्य विषय एवं उनके कोडः–

1. सामान्य हिन्दी (01)
2. सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02)
3. सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03)

(ख) ऐच्छिक विषय की सूची एवं उनके कोडः–

| क्रम संख्या | विषय | Subject | विषय कोड |
|---|---|---|---|
| 1. | कृषि विज्ञान | Agriculture | 04 |
| 2. | पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान | Animal Husbandry & Veterinary Science | 05 |
| 3. | मानव विज्ञान | Anthropology | 06 |
| 4. | वनस्पति विज्ञान | Botany | 07 |
| 5. | रसायन विज्ञान | Chemistry | 08 |
| 6. | सिविल इंजीनियरिंग | Civil Engineering | 09 |
| 7. | वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि | Commerce & Accountancy | 10 |
| 8. | अर्थशास्त्र | Economics | 11 |
| 9. | विद्युत इंजीनियरिंग | Electrical Engineering | 12 |
| 10. | भूगोल | Geography | 13 |
| 11. | भू–विज्ञान | Geology | 14 |
| 12. | इतिहास | History | 15 |
| 13. | श्रम एवं समाज कल्याण | Labour and Social Welfare | 16 |
| 14. | विधि | Law | 17 |
| 15. | प्रबन्ध | Management | 18 |
| 16. | गणित | Mathematics | 19 |
| 17. | यांत्रिक इंजीनियरिंग | Mechanical Engineering | 20 |
| 18. | दर्शन शास्त्र | Philosophy | 21 |
| 19. | भौतिकी | Physics | 22 |
| 20. | राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध | Political Science And International Relations | 23 |
| 21. | मनोविज्ञान | Psychology | 24 |
| 22. | लोक प्रशासन | Public Administration | 25 |
| 23. | समाज शास्त्र | Sociology | 26 |
| 24. | सांख्यिकी | Statistics | 27 |
| 25. | प्राणी विज्ञान | Zoology | 28 |
| 26. | हिन्दी भाषा और साहित्य | Hindi Language & Literature | 29 |
| 27. | अंग्रेजी भाषा और साहित्य | English Language & Literature | 30 |
| 28. | उर्दू भाषा और साहित्य | Urdu Language & Literature | 31 |
| 29. | बंगला भाषा और साहित्य | Bangla Language & Literature | 32 |
| 30. | संस्कृत भाषा और साहित्य | Sanskrit Language & Literature | 33 |
| 31. | फारसी भाषा और साहित्य | Persian Language & Literature | 34 |
| 32. | अरबी भाषा और साहित्य | Arabic Language & Literature | 35 |
| 33. | पाली भाषा और साहित्य | Pali Language & Literature | 36 |
| 34. | मैथिली भाषा और साहित्य | Maithili Language & Literature | 37 |

**उपर्युक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में किया जा चुका है। अभ्यर्थी, आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन में चयनित वैकल्पिक विषय में परिवर्तन कर सकते हैं।**

1. प्रत्येक विषय की परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी।
2. सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में, से किसी एक भाषा में दिये जा सकते हैं; किसी अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।

3. प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवम् पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा निर्देशित है कि **सामान्य हिन्दी में अर्हतांक 30 अंक है, जो अनिवार्य है किन्तु मेधा सूची के प्रयोजनार्थ उसकी गणना नहीं की जायेगी।** शेष विषयों में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवम् विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
4. **रिक्तियाँ** : कुल रिक्तियों की संख्या 423 है जिसका विस्तृत विवरण सम्मिलित संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं उसके क्रम में दिनांक 24.07.2019 को प्रकाशित शुद्धि पत्र में दिया गया है।
5. **मेधा सूची** : लिखित परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित हैं। मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य हैं तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर ही मेधा सूची बनायी जायेगी, और अंतिम परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जाएगा।
उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधासूची प्रकाशित की जायेगी; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अन्तिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही प्रकाशित किया जायेगा।
6. शैक्षिक योग्यता, उम्र सीमा, शारीरिक क्षमता एवं अन्य निदेश जो प्रारम्भिक परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित है, यथावत् रहेंगे।

## मुख्य परीक्षा हेतु आवश्यक निदेश

1. **आरक्षण:**

(i) जाति के आधार पर आरक्षण की लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में हैं अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी (निवासी) को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(ii) **(A)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार यथा; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–
(a) जाति प्रमाण पत्र
(b) स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

**(B)** पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछडी जाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :–
(a) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र
पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।**

(iii) **आरक्षित कोटि का आरक्षण कोड निम्नवत है :–**

| क्र.सं. | आरक्षित कोटि | आरक्षण कोड |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति (SC) | 02 |
| 2. | अनुसूचित जनजाति (ST) | 03 |
| 3. | अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) | 04 |
| 4. | पिछड़ा वर्ग (BC) | 05 |

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 13062 दिनांक 12.10.2017 के आलोक में विकलांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्षद से निर्गत निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म VI (Form VI) में सक्षम प्राधिकार द्वारा दिनांक 13.08.2019 या उसके पूर्व का निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपने–अपने जिला के जिला पदाधिकारी/उनके द्वारा प्राधिकृत

पदाधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र एवं अभ्यर्थी विशेष के नाम से निर्गत परिचय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्वतंत्रता सेनानी को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

**नोट :– 65वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के आधार पर जाति, दिव्यांगता, स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए किये गये दावे के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा।**

**2. शुल्क:**

(i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये
(ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iii)बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवारों के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए– 200/– (दो सौ) रूपये
(v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए– 750/– (सात सौ पचास) रूपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिन्ट कर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

**वैसे सभी बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार एवं सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला/दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा उसी अनुरूप में परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। लेकिन भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा संबंधित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिला उम्मीदवारों, दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वंय निर्णय ले सकते हैं।**

**3. ऑनलाईन आवेदन पत्र से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि** | **दिनांक 04.05.2020 से 18.05.2020 तक** |
| 2. | **ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि** | **दिनांक 28.05.2020 तक** |
| 3. | **आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी कागजात/प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि** | **दिनांक 15.06.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक** |

**नोट–1. जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी दिनांक 18.05.2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।**

(i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाईन आवेदन में कतिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कतिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं **(वैकल्पिक विषय को छोड़कर)** है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अन्त में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) उपर्युक्त विज्ञापन के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। **ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) मात्र भुगतान कर देने से यह नहीं माना जाएगा की आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(iv) **इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।**

(v) **ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान** (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending) **के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।**

**4. महत्वपूर्ण निर्देश :–**

(i) **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र/कागजात एवं ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह 15.06.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना– 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र/कागजात एवं ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code** एवं **Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि हार्डकॉपी के प्रथम पृष्ठ के शीर्ष पर 65वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (65th Combined Competitive (Mains) Exam) अंकित है।

(iv) **इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक अन्य प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय हार्डकॉपी मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रुप से प्रस्तुत करना होगा।**

5. **योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र के निर्गत होने की तिथि, पूर्व में भरे गये प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि – 13.08.2019 के पूर्व का होना आवश्यक है।**

6. **आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, अंक–पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

7. आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

8. **आवेदक इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्ची (Address Slip) एवं प्रेषक पर्ची (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।**

9. **इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।**

10. **उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।**

11. **आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

12. **अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में अनिवार्यतः क्रमवार संलग्न करेंगेः–**
    (i) मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के प्रमाण के लिए);
    (ii) स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का प्रमाण पत्र;
    (iii) स्नातक एवं समकक्ष डिग्री का अंक पत्र;
    (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये (1) पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, (2) स्थायी निवास प्रमाण पत्र;
    (v) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र;
    (vi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक– 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र;
    (vii) निःशक्त उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा पर्षद द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र;
    (viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र की छायाप्रति;
    (ix) अधिकत्तम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र;
    (x) नियोजन की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र;
    (xi) फोटो युक्त पहचान पत्र;
    (xii) ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद की प्रति

13. **साक्षात्कार के समय सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों को मूल प्रमाण–पत्रों से सत्यापित कराना अनिवार्य होगा तथा इसके लिए अलग से कोई समय प्रदान नहीं किया जाएगा। मूल प्रमाण–पत्र से साक्षात्कार के समय सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है अथवा उनका आरक्षण का दावा अमान्य किया जा सकता है।**

**उपर्युक्त हार्ड कॉपी एवं प्रमाण पत्र/कागजात को जिस लिफाफा में डालकर भेजेंगे उस लिफाफा के ऊपर पता पर्ची (Address Slip) प्रेषक पर्ची (Slip) चिपका कर इस प्रकार भेजेंगे कि वह 15.06.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना–800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

नोटः–आवेदन पत्र मात्र संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के नाम से ही प्रेषित करेंगे। अन्य पदाधिकारी के नाम से प्रेषित आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र वाले लिफाफे के ऊपर 65वीं संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा निश्चित रूप से लिखेंगे।

22.4.20

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना